न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मीना गहलोत, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी प्र. संख्या : 87/2019
सी.आई.एस. नं० : 87/2019
सी.एन.आर.नं. : RJSG180001592019

फर्म के.के. कटारिया इलैक्ट्रोनिक्स, जरिये एकल स्वामी श्री कुलदीप कुमार कटारिया पुत्र अमर लाल, उम्र–47 वर्ष, निवासी–वार्ड नम्बर, 15 सादुलशहर, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

––परिवादी

बनाम

प्रेम कुमार पुत्र गोरूराम, जाति यादव, निवासी–वार्ड नम्बर, 07, मन्नीवाली, तहसील–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर।

–– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थिति :–

1– परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण सहगल व श्री सुभाष पट्टीर।

2– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोक चंद चायल व श्रीमती रेनुबाला चायल।

:: **निर्णय** :: **दिनांक :–27.03.2026**

01– परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादी फर्म का सादुलशहर में इलैक्ट्रोनिक सामान का व्यवसाय है। परिवादी फर्म के एकल स्वामी से अभियुक्त की पुरानी जान–पहचान है, इसी जानकारी के आधार पर अभियुक्त ने परिवादी फर्म से सामान नगद उधार लिया था और इस रकम की अदायगी पेटे अभियुक्त ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा –सादुलशहर का एक चैक संख्या 980244, दिनांकित 29.08.2017, राशि 1,35,000/–रुपये का अपने हस्ताक्षर सहित परिवादी के पक्ष में जारी कर परिवादी को सुपुर्द किया। उपरोक्त चैककृत राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए परिवादी ने उपरोक्त चैक को अपने खाते वाले पंजाब नैशनल

बैंक शाखा सादुलशहर में दिनांक 22.09.2017 को लगाया, जो दिनांक 22.09.2017 को असल चैक मय ज्ञापन मीमो पर "Funds insufficient" का नोट लगाते हुए चैक अनादृत कर परिवादी को वापिस लौटा दिया गया। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा जारी किये गये उक्त चैक का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात् भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने जरिये अधिवक्ता एक पंजीकृत नोटिस दिनांक 29.09.2017 को उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए अभियुक्त के उक्त वर्णित सही पते पर भिजवाया, जो डाक विभाग द्वारा ले जाया गया, चूंकि अभियुक्त को उसके मोबाईल फोन नम्बर 9928246535 पर चैक के अनादरण की मौखिक सूचना दे दी गई थी, इसलिये अभियुक्त ने नोटिस की तामील से बचने के लिए इधर-उधर हो गया व समस्त तथ्य जानते हुए भी अभियुक्त ने जानबूझकर कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं किया, अभियुक्त ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। कानूनी नोटिस लिफाफा क्लेम नहीं करने पर डाक विभाग द्वारा उक्त् कानूनी नोटिस अदम तक्सीम उसके अधिवक्ता के पते पर दिनांक 12.10.2017 को वापिस कर दिया। इसके पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा चैककृत राशि की अदायगी नहीं की गई, जोकि अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने एवं चैककृत राशि व नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलवाई जाने का निवेदन किया।

02- न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर बाद सुनवाई दिनांक 13.02.2019 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त के उपस्थित आने पर उसे उक्त धारा के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03- परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप पी.डब्ल्यू.1 कुलदीप कुमार की साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य स्वरूप असल चैक प्रदर्श पी. 01, चैक वापसी ज्ञापन प्रदर्श पी. 02, विधिक नोटिस प्रदर्श पी. 03, रजि. डाक रसीद प्रदर्श पी. 04, नोटिस बंद लिफाफा प्रदर्श पी. 05, फर्म का जीएसटी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 06, सामान के बिलों की प्रति प्रदर्श पी. 07 व प्रदर्श पी. 08 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

04- अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.स. में लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने परिवादी साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। उसने परिवादी को कोई चैक नहीं दिया। परिवाद प्रेम यादव के विरुद्ध पेश किया गया है, जबकि उसका नाम प्रेम मेघवाल है, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा।

साक्ष्य सफाई में डी.डब्ल्यू. 01 प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम व डी.डब्लयू. 02 प्रेम कुमार पुत्र गिरधारीलाल की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई।

05- बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है किः-

"क्या अभियुक्त द्वारा विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे ओ.बी.सी. बैंक शाखा सादुलशहर का चैक संख्या 980244 दिनांक 29.08.2017 राशि 1,35,000/- रूपयें का दिया, जिसे भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक "Funds Insufficient'' के ज्ञापन मीमो के साथ अनादरित कर परिवादी को लौटा दिया गया जिस पर परिवादी द्वारा नियत अवधि के भीतर नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त द्वारा उक्त चैक में वर्णित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया? ''

यदि हाँ तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

06- परिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में दौराने बहस तर्क रहे कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्वों के उन्मोचन पेटे 1,35,000/-रुपये फर्म का अदा करने थे, जिनका तकाजा करने पर अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक दिया, जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया, जिसकी सूचना जरिये अधिवक्ता अभियुक्त को दिये जाने के बावजूद अभियुक्त ने भुगतान नहीं किया। प्रेम कुमार ने जाति यादव बताई, जबकि जमानत-मुचलकों से पता चला कि जाति मेघवाल है, जबकि अभियुक्त ने इस बात से इनकार नहीं किया कि प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। परिवादी ने 15-16 सालों की जान-पहचान बताई है, लेकिन अभियुक्त ने

ऐसा कोई खण्डन नहीं किया कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने ना दिया हो। अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि चैक प्रदर्श पी. 1 पर हस्ताक्षर करके दिया। प्रश्नगत चैक पर अंकित खाता नंबर अभियुक्त का है, परिवादी से की गई जिरह से यह स्वीकृति है कि असल बिल अभियुक्त के पास है। चैक गुम होने बाबत् कभी कोई शिकायत या आपराधिक कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादी की प्रतिपरीक्षा में नकारात्मक साक्ष्य नहीं आई, जिससे परिवादी के कथनों का खण्डन होता हो। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही कर उसके कृत्य की सजा दिलाई जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि लिफाफा नोटिस प्रदर्श पी. 05 पर लेने से इंकार बाबत् कोई नोट अंकित नहीं है। परिवादी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से सामान लेना तथा असल बिल अभियुक्त के पास होना बताया है। परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि परिवाद, शपथ-पत्र, नोटिस में अभियुक्त द्वारा लिये गये सामान का कोई जिक्र नहीं है। कानूनी नोटिस प्रेम कुमार को मिला या नहीं, बता नहीं सकता का कथन परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किया है। परिवादी ने बिल तलब करवाने का कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया। अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक अपने गांव में रहने वाले मित्र को दिया, जिसके पिता का नाम गिरधारीलाल था। प्रेम कुमार परिवादी के पास दुकान पर जाता था। अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रेम यादव को डी.डब्ल्यू. 02 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया, जिसने भी अपनी पहचान प्रेम कुमार जाति यादव होना स्वीकार किया है। नोटिस की तामील विधिवत् रूप से नहीं हुई। परिवादी के परिवाद, मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के कथन विरोधाभासी है। इसलिये निवेदन है कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायिक दृष्टांत (1) The State represented by the De[uty superintendent of Police vs Tr N Seenivasagan, 2021 R.J.R. (S.C) 315 (2) सुनील कुमार व अन्य बनाम श्रीमति अंगूरी चौधरी व अन्य, सिविल संसोधन संख्या 1444/99, निर्णय दिनांक 01.04.2002, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (3) एम.एस. नारायण मेनन उर्फ मन्नी बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य, क्रि.मी. अपील नंबर 1012/1999, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (4) रमन फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम हरमीत सिंह, पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट (5)

नेटकोर सोल्यूशन प्रा.लि. व अन्य बनाम एम/एस पिनेकल टेली सर्विस प्रा.लि. व अन्य, बोम्बे हाईकोर्ट, नागरपुर बेंच (6) चित्तौढ़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बनाम हीरा सिंह, क्रि. अपील नं. 01/2017, राजस्थान उच्च न्यायालय (7) पुष्पादेवी बनाम हनुमानराम, Crml लिव टू अपील नं. 01/2019, राजस्थान उच्च न्यायालय (8) श्याम बनाम श्रीमति सविता भगवंत राव पाटील Crlm. अपील नं.द 447/2006 बोम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच (9) जयपुर थार ग्रामीण बैंक बनाम स्टेट व अन्य एस.बी. क्रि. लीव टू अपील नं. 33/2020 ण् राज. हाईकोर्ट, जोधपुर (10) नुरूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ केरल व अन्य CRL. Rev.Pet. No. 865/2023 केरल उच्च न्यायालय पेश किये।

07. बहस अंतिम सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने, प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा संबंधित विधि का परिशीलन करने पर न्यायालय का समाधान इस प्रकार है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत प्रावधानित है कि **"जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जावेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है तथा इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण/दायित्व से अभिप्रायः विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से है।**

08. इसके अलावा धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत चैक के सप्रतिफलार्थ होने बाबत् उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जाती है। " यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त उपधारणाएं खंडनीय उपधारणाएं है, जिनका कि खंडन करने का भार सदैव अभियुक्त पर रहता है। यद्यपि विधिनुसार उक्त उपधारणाएं परिवादी के पक्ष में की जाती है, तथापि उक्त उपधारणाएं न्यायालय द्वारा उसी परिस्थिति में की जा सकती है, जब परिवादी अपने पक्ष में कोई साक्ष्य अथवा सामग्री पत्रावली पर प्रस्तुत करता है। विधिनुसार उपधारणा गठित करने के लिए उपधारणा के संबंध में आवश्यक तथ्य साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकट किए जाने व साबित किए जाने जरूरी हैं। **धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार **"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।"**

धारा 118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं.– जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगीः–

(क) प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी;

(ख) तारीख के बारे में यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी;

09. **धारा 139. धारक के पक्ष में उपधारणाः–** यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लिखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था। उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपने मामले को साबित किया जाना था। इस संबंध में यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अपने परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्वों के उन्मोचन पेटे प्रश्नगत चैक परिवादी को सुपुर्द किया। अभियुक्त द्वारा जारी किया गया चैक बैंक में प्रस्तुत होने पर funds Insufficient होने के आधार पर अनादृत हो गया। इसके पश्चात् परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पंजीकृत नोटिस अभियुक्त को भेजा गया जो। इसके उपरान्त अभियुक्त ने परिवादी को चैक की राशि का भुगतान नहीं किया।

10. परिवादी पक्ष में उत्पन्न उपधारणा को खण्डित करने के लिए अधिवक्ता अभियुक्त ने बचाव लिया है कि परिवादी ने अपने परिवाद में अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव नाम व्यक्ति को बनाया है, जबकि अभियुक्त का नाम प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति मेघवाल है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का समाधान है कि यद्यपि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन करें तो परिवाद के अवलोकन से प्रकट है कि उसमें

परिवादी फर्म द्वारा प्रेम कुमार पुत्र गोरू राम, जाति यादव नाम के व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है और हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गोरूराम स्वयं अपनी जाति मेघवाल बता रहा है, परंतु प्रश्नगत चैक अभियुक्त का ना हो, इस सम्बन्ध में कोई इन्कारी अभियुक्त द्वारा नहीं की गई है। बल्कि स्वयं अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम ने अपनी साक्ष्य सफाई में स्वयं को परीक्षित करवाते हुए डी.डब्ल्यू. 01 के रूप में दौराने प्रतिपरीक्षा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चैक प्रदर्श पी. 1 मेरे ही खाते का है। चैक प्रदर्श पी.1 उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाऊंस हो गया था। इस प्रकार अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक अपने ही खाते का होना और अपने खाता में पर्यात राशि नहीं होने के आधार पर बाऊंस होना स्वीकार किया है। यद्यपि आगे अभियुक्त ने अपने प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करें तो पत्रावली की आदेशिकाओं, पत्रावली में संलग्न अभियुक्त के जमानत-मुचलके, अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी., साक्ष्य में पेश शपथ में अंकित अभियुक्त के हस्ताक्षर तथा प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी. 1 में अंकित अभियुक्त के हस्ताक्षर में कोई भिन्नता होना प्रकट नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रिटर्न मीमो प्रदर्श पी. 02 के अवलोकन से प्रकट है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते से अपर्याप्त निधि के आधार पर अनादृत होकर लौटा है, ना कि हस्ताक्षर भिन्नता के आधार पर।

11. जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्त से प्रश्नगत चैक प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव ने लिया था। इस सम्बन्ध में न्यायालय का समाधान है कि अभियुक्त का प्रश्नगत चैक परिवादी के पास किस प्रकार से आया, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभियुक्त ने पेश नहीं की है। इस सम्बन्ध में प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम डी.डब्ल्यू. 01 व प्रेम कुमार पुत्र गिरधारी लाल डी.डब्ल्यू. 02 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त दोनों ही गवाहान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भिन्न-भिन्न कथन किये हैं। जहाँ एक ओर गवाह डी.डब्ल्यू. 01 प्रेम कुमार ने कथन किया है कि परिवादी फर्म को चैक उसका दोस्त प्रेम कुमार यादव देकर गया था। वहीं दूसरी ओर डी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रेम कुमार का चैक उससे गुम हो गया था और अभियुक्त प्रेम कुमार का चैक गुम होने की जानकारी उसे दो दिन बाद दिसम्बर, 2017 में ही गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना में लिखवाई थी। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से

परीक्षित उक्त दोनों ही गवाहान ने परिवादी फर्म के पास अभियुक्त का प्रश्नगत चैक आने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न कथन किये हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह डी.डब्ल्यू. 02 प्रेम कुमार पुत्र गिरधारीलाल ने प्रतिपरीक्षा में प्रश्नगत चैक गुम होने की रिपोर्ट पुलिसथाना-सादुलशहर में दर्ज करवाये जाने का कथन किया है। लेकिन पत्रावली में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि एफ.आई.आर. या अन्य दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त द्वारा गुम हुए चैक की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो या कोई आपराधिक कार्यवाही की गई हो। बल्कि उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार भी किया है कि उसने उस रिपोर्ट की असल या नकल पेश नहीं की तथा आज वह उस रिपोर्ट की असल या नकल साथ लेकर नहीं आया। इस प्रकार अभियुक्त इस तथ्य को स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त के खाते का हस्ताक्षरशुदा चैक प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव के पास किस प्रकार आया, ना ही ऐसा कोई कथन किया कि दोनों के बीच किस प्रकार का आर्थिक लेनदेन चल रहा था, जिसके चलते अभियुक्त का प्रश्नगत चैक प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव के पास आया। गवाह डी.डब्ल्यू. 01 ने इस तथ्य को प्रतिपरीक्षा में स्वीकार भी किया है कि प्रेम यादव के साथ उसका कोई हिसाब किताब या लेन देन नहीं था। इस प्रकार अभियुक्त परिवादी फर्म को जिस प्रेम कुमार यादव के व्यक्ति द्वारा चैक दिया जाना बताया जा रहा है, उन तथ्यों को अभियुक्त द्वारा साबित नहीं किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव स्वयं ना होकर डी.डब्ल्यू. 02 प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम जाति यादव हो, इस सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जबकि गवाह डी.डब्ल्यू. 02 प्रेम कुमार ने न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर अपने पिता का नाम गिरधारीलाल लिखवाया है, ना कि गौररूराम, जिससे स्पष्ट है कि डी.डब्ल्यू. 02 प्रेम कुमार पुत्र गिरधारीलाल को अभियुक्त द्वारा परिवाद में अंकित अभियुक्त बताया जा रहा है, वह अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम ना होकर पुत्र गिरधारीलाल है। इसके अलावा उक्त गवाह प्रेम कुमार पुत्र गिरधारीलाल निवासी मन्नीवाली ने अपनी पहचान बाबत् कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, बल्कि गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पत्रावली में उसकी पहचान व गांव मन्नीवाली का निवासी होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी कागज नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का न्यायालय में

प्रथम बार उपसंजात होने के समय भी यह उज्र नहीं लिया गया कि वह परिवादी द्वारा परिवाद में अंकित अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गौरूराम, जाति यादव नहीं है।

12. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि परिवादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस की तामील भी अभियुक्त पर नहीं हुई है, विधिक नोटिस इस नोट के साथ लौटा है कि अभियुक्त बार-बार जाने पर प्राप्त नहीं हुआ, जबकि प्रदर्श पी.5 पर लेने से इन्कार बाबत् कोई नोट अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का समाधान है कि पत्रावली पर संलग्न डाक रसीद प्रदर्श पी. 04 का अवलोकन करें तो विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक अभियुक्त के सम्यक् पते पर भेजा गया था, इसके अलावा प्रदर्श पी. 05 रजिस्टर्ड लिफाफा के अवलोकन से प्रकट है कि "बार-बार जाने पर नहीं मिला'' के नोट के साथ रजिस्टर्ड ए.डी. परिवादी को पुनः लौटकर प्राप्त हुई है। ऐसी दशा में यह उपधारणा की जावेगी कि रजिस्टर्ड विधिक नोटिस की तामील सम्यक् रूप से हो चुकी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने परिवाद में अभियुक्त को उसके मोबाईल फोन नम्बर 9928246535 पर चैक अनादरण की मौखिक सूचना देने बाबत् तथ्य अंकित किया है। उक्त् मोबाईल नम्बर अभियुक्त के स्वयं का होना अभियुक्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करते हुए कथन किया कि परिवाद प्रदर्श पी. 07 में मद सं. 2 में ए से बी स्थान पर दिये गये मोबाईल नम्बर 9928246535 उसके ही है। ऐसी दशा में भी अभियुक्त को सूचना होना साबित है।

13. जहाँ तक अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पेश किये गये माननीय न्यायिक दृष्टांतों (1) The State represented by the De[uty superintendent of Police vs Tr N Seenivasagan, 2021 R.J.R. (S.C) 315 (2) सुनील कुमार व अन्य बनाम श्रीमति अंगूरी चौधरी व अन्य, सिविल संसोधन संख्या 1444/99, निर्णय दिनांक 01.04.2002, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (3) एम.एस. नारायण मेनन उर्फ मन्नी बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य, क्रि.मी. अपील नंबर 1012/1999, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (4) रमन फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम हरमीत सिंह, पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट (5) नेटकोर सोल्यूशन प्रा.लि. व अन्य बनाम एम/एस पिनेकल टेली सर्विस प्रा.लि. व अन्य, बोम्बे हाईकोर्ट, नागरपुर बेंच (6) चित्तौढ़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बनाम हीरा सिंह, क्रि. अपील नं. 01/2017, राजस्थान उच्च न्यायालय (7) पुष्पादेवी बनाम हनुमानराम, Crml लिव टू अपील नं. 01/2019, राजस्थान उच्च न्यायालय (8) श्याम बनाम

श्रीमति सविता भगवंत राव पाटील Crlm. अपील नं.द 447/2006 बोम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच (9) जयपुर थार ग्रामीण बैंक बनाम स्टेट व अन्य एस.बी. क्रि. लीव टू अपील नं. 33/2020 ण् राज. हाईकोर्ट, जोधपुर (10) नुरूद्दीन बनाम स्टेट ऑफ केरल व अन्य CRL. Rev.Pet. No. 865/2023 केरल उच्च न्यायालय का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का समाधान है कि माानीय न्यायिक दृष्टांतों में अंकित तथ्य एवं परिस्थितियाँ, हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न-भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, अर्थात् माननीय न्यायिक दृष्टांत अभियुक्त को किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

14. इस प्रकार उपर्युक्त रूप से उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के चैक प्रदर्श पी. 1 पर हस्ताक्षर होना और चैक का अनादृत होना इस बात की पुष्टि करता है कि अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्वों के उन्मोचन पेटे 1,35,000/-रुपये परिवादी फर्म को अदा करने थे, उस राशि की विधिक दायित्व के पेटे अभियुक्त ने चेक प्रदर्श पी. 1 दिया था जो अनादृत कर लौटा दिया गया, जिसका दस्तावेज प्रदर्श पी.02 रिटर्न मीमो है, जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा नियत अवधि के भीतर नोटिस प्रदर्श पी .03 दिया गया, जिसकी रजिस्टर्ड डाक रसीद प्रदर्श पी. 04 और अभियुक्त द्वारा मांग पत्र नोटिस के समय एवं न्यायालय में हाजिर होने के पश्चात् परिवादी को पैसे लौटा दिये हो, ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये गये। ऐसी दशा में यह साबित होता है कि अभियुक्त ने विधितः प्रवर्तनीय राशि परिवादी को नहीं लौटाकर उक्त आपराधिक कृत्य किया है, जो उसका विधिक दायित्व था। ऐसे में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

15. लिहाजा अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गोरूराम , निवासी-वार्ड नम्बर, 07, मन्नीवाली, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मीना गहलोत)

सजा के प्रश्न पर

16. सजा के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त लगभग वर्ष 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि हस्तगत प्रकरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है तथा उक्त अपराध आर्थिक प्रकृति का अपराध है। ऐसे में अभियुक्त को सख्त से सख्त दण्ड से दण्डित किया जावे।

17. उभयपक्षों को सुना गया। न्यायालय के विनम्र मतानुसार हस्तगत प्रकरण आर्थिक प्रकृति के अपराध से संबंधित है तथा वर्ष 2019 से लंबित है। वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में अधिकतर व्यावसायिक संव्यवहार चैकों के माध्यम से ही किया जाता है तथा दिन-प्रतिदिन चैक अनादरण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में परिवीक्षा का लाभ दिये जाने से न केवल चैकों के माध्यम से होने वाले आर्थिक संव्यवहारों के प्रति आमजन के विश्वसनीयता खण्डित होगी वरन् अपराधियों के हौसले भी बढ़ेंगे। अतः हस्तगत प्रकरणें में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी दशा में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

<u>दण्डादेश</u>

18. निष्कर्षतः अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र गोरूराम, निवासी-वार्ड नम्बर, 07, मन्नीवाली, तहसील-सादुलशहर, जिला-श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के लिए दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए **01 वर्ष के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है। साथ ही धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त, परिवादी फर्म को **1,85,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख पिचयासी हजार रूपये)** प्रतिकर के रूप में अदा करेगा। अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त **01 माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को उसकी मूल सजा में समयोजित किया जावे। अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हाजरी बाबत जमानत मुचलके तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

नियमानुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

(मीना गहलोत)

19. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा वितृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया।

SATPAL

Steno Gr.II
"authenticate document"
Digitally signed by SATPAL
Date: 2026.04.01 14:47:36 +0530

(मीना गहलोत)